

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदे इनिशियल्स जज
1/10/14	वकील फरीकेन उप०/००० साहब अवकाश/दौर पर तलफ होकर प्रवासी दिनांक 26/11/14 को पेश हो
26/11/14	वकील फरीकेन उप०/००० साहब अवकाश/दौर पर पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक... 21/11/15... को पेश हो। <u>है</u>
7/1/15	वकील फरीकेन उप०/००० साहब अवकाश/दौर पर पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक... 25/1/15... को पेश हो। <u>है</u>
27/1/15	वकील फरीकेन उप०/००० साहब अवकाश/दौर पर पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक... 27/1/15... को पेश हो। <u>है</u>
<p>10/7/15</p> <p>शेख रास</p> <p>मुहम्मद</p> <p>जवाहर</p> <p>अहमद</p>	<p>प्रवासी आज लोक अदालत में पेश हुई</p> <p>शेख रास वकील तलफ हुई काडी एवं जस्टिस वकील</p> <p>मुहम्मद शेख रास वकील द्वारा फाइनल डिप्टी</p> <p>जवाहर डिप्टी जस्टिस सहमत हो फलतः वकील काडी</p> <p>अहमद मुहम्मद शेख रास वकील फाइनल डिप्टी डिप्टी</p> <p>जवाहर डिप्टी जस्टिस डिप्टी जस्टिस हो प्रवासी</p> <p>शेख रास मुहम्मद शेख रास नम्बर 2 के फलतः काडी</p> <p>जवाहर तलफ होकर तलफ होकर <u>है</u></p>

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सपोटरा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी:— मुकेश कुमार मीणा (R.A.S.)

नरेन्द्र चन्द्र

उनवान

बनाम रमेशचंद्र वर्मा

दावा बाबत दोषणा श्वेतदारी इन्डाज दुस्स्ले बटवारा एवं स्थायी निवेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 30/11

निर्णय दिनांक :- 10/7/2015

वादी की ओर से नरेन्द्र चन्द्र की व प्रतिवादी की ओर से

रमेशचंद्र वर्मा

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10/7/2015

को मुकेश कुमार मीणा (नाम पीठासीन अधिकारी) R.A.S. उपखण्ड अधिकारी,

सपोटरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और

डिक्री दी जाती है कि ① रमेशचंद्र पुत्र शिवराज चन्द जाली राजशत नि ० अमरगढ बटव

सपोटरा को ग्राम अमरगढ के खसरा नं. 16 खवा 15-12 खन 17 खवा 1-05 खन 267 खवा

11-05 खन 1600 खवा 0-15 खसरा नं 245 खवा 0-03 एव खन 246 खवा 2-13

योगिता 6 खवा 31-13 बीघारे ② नरेन्द्र चन्द्र पुत्र शिवराज चन्द राजशत नि अमरगढ

बटव सपोटरा को ग्राम अमरगढ के खन 16 खवा 15-11 खन 267 खवा 12-14 खन

1601 खवा 0-08 खन 1635 खवा 0-03 खन 246 खवा 1-07 खन 247 खवा 0-08

खन 248 खवा 1-00 बीघा योगिता 7 खवा 31-11 बीघारे खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 10/7/2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

गई।

मुकेश कुमार मीणा
पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत "न्याय के द्वार"
सपोटरा, पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

- ⑧ ③ जगदीशचन्द्र पुत्र शिवराजचन्द्र राजपूत निवासी अमरगढ़ तहसिल सपोटरा को
 ग्राम अमरगढ़ तहसिल सपोटरा के खसरा नं. $\frac{16}{3}$ रकबा 15-11 खेत $\frac{267}{3}$ रकबा
 12-14 खेत $\frac{1633}{4}$ रकबा 0-12 खेत $\frac{248}{2}$ रकबा 0-12 खेत $\frac{249}{2}$ रकबा
 0-07 खेत $\frac{250}{1}$ रकबा 1-12 खेत $\frac{251}{1}$ रकबा 0-05 योग कित्ता 7
 रकबा 31-13 की धारणा (4) नरेन्द्रचन्द्र पुत्र शिवराजचन्द्र जाट राजपूत
 निवासी अमरगढ़ तहसिल सपोटरा को ग्राम अमरगढ़ तहसिल सपोटरा के खेत नं. $\frac{16}{4}$
 रकबा 15-12 खेत $\frac{267}{4}$ रकबा 12-13 खेत $\frac{1633}{2}$ रकबा 0-05 खेत नं.
 1634 रकबा 0-07 खेत नं. $\frac{250}{2}$ रकबा 0-18 खेत नं. $\frac{251}{2}$ रकबा 1-18
 योग कित्ता 6 रकबा 31-13 की धारणा (4) पृथक - पृथक स्वतंत्र
 घोषित किया जा रहा है। संवारा स्कीम के साथ संलग्न देस छि
 दा जुज रहेगा।

अवधान

नरेन्द्रचन्द्र पुत्र शिवराजचन्द्र जाट राजपूत निवासी अमरगढ़
 तहसिल सपोटरा जिला करौली (राज.)

कनाम

- वादी

1. रमेशचन्द्र
2. नरेन्द्रचन्द्र
3. जगदीशचन्द्र
4. लखतारपुर तहसिल सपोटरा जिला करौली (राज.)

सारा काबू घोषणा खातेदारी, इन्दौर इरक्ती

संवारा कलकरी निवेद्याना अन्वर्ति द्वारा 53, 88, 188 आर.वी.स्य.

पुडी

पीठासीन अधिकारी (SDM)
 राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
 सपोटरा, जिला-करौली (राज.)